रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 1983/पौष 15, 1904
No. 5] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 1983/PAUSA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1983

अधिसूचना

सं. 4/83-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 8(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 48-सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 16, 17, 18 और 19 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एस. 16/82-टीआरयू(सी.शु.)]
जे. श्रीधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 5th January, 1983

NOTIFICATION

No. 4|83-CUSTOMS

G.S.R. 8(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 48-Customs, dated the 1st March, 1979, namely :—

In the Table to the said notification, Sl. Nos. 16, 17, 18, and 19 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. S.16|82-TRU(Cus)]
J SRIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982